Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- पुलिस थाना नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर के रामेश्वरलाल उप निरीक्षक 20,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 25 मई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बीकानेर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **रामेश्वरलाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर** को **20,000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बीकानेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के मुकदमें में एफआर लगाने की एवज में आरोपी रामेश्वरलाल उप निरीक्षक द्वारा 50,000/– रूपये रिश्वत की मांग कि गई और परिवादी द्वारा कम करने का निवेदन करने पर 20,000/– रूपये लेने के लिए सहमत हुआ।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रामेश्वरलाल हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर को 20,000/– रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि 20,000/– रूपये आरोपी के कब्जे से बरामद की गई।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।